

[Extract from the Haryana Govt. Gaz. (Extra.), dated the 13th January, 2000]

HARYANA GOVERNMENT  
WILDLIFE PRESERVATION DEPARTMENT

Notification

The 13th January, 2000

No. 121-Ft-4-2000/749.--Whereas the area specified below is considered by the State Government to be of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural and zoological significance, for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26-A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Act 53 of 1972) and all other powers enabling him in this behalf, and with reference to Haryana Government, Wildlife Preservation Department, notification No. S.O.67/C.A.53/72/S.18/99, dated the 24th March, 1999, the Governor of Haryana hereby declares the area specified below to be a sanctuary to form part of the Kalesar Wildlife Sanctuary, for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment from the date of issue of this notification in the official Gazette :--

SPECIFICATIONS

District	Tehsil	Name of Village	H.B. No.	Area in Rectangle Acres	Block No.	Class of Forest	Boundaries	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Yamuna Nagar	Chhachhauri	Nagli	32	222.65	93	21,22	Protected	North : Nagli Khol
		Compartment			94	16 min, 17 min, 18 min, 19 min, 20 min, 21 to 25		North-West Protected forest compartment
		No. 9						No. 6 (Part) and Nagli Khol.
					95	15 min, 17 min 18 min, 19 min, 20 min, 21/1, 21/2, 22 to 25		East : Boundary of Himachal Pradesh
					96	16 min, 17 min, 18 min, 19 min 20 min, 21 to 25		South : Nagli village private area
					97	16 min, 17 min, 18 min, 19 min, 20 min, 21 to 25		West : Nagli Khol, 22 to 25
					98	25		
					106	16 min, 25 min		
					107	4 min, 5,6,7 min 14 to 16,17 min 19, 25		
					108	1 to 25		
					109	1 to 25		
					110	1 to 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					111	1 to 24		
					112	1, 2, 9, 10, 11, 20		
					113	1 to 3, 9, 10		
					114	1 to 10		
					115	1 to 15, 20		
					116	1 to 20		
					117	1 to 20		
					118	5, 6, 15/1, 15/2, 16		

PROMILLA ISSAR,

Commissioner and Secretary to Government,  
Haryana, Wildlife Preservation Department.हरियाणा सरकार  
वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग

## गमिसूचना

दिनांक 13 जनवरी, 2000

सं. 121-य-4-2000/749. --चूंकि राज्य सरकार नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्र को वन्य प्राणी और इसके पर्यावरण परिक्षण, फेलाव और विकास के प्रयोजन के लिये पारिस्थितिक, जीव जन्तु वनस्पति, भू-आयूति विज्ञानीय, प्राकृतिक और प्राणी विज्ञान सम्बन्धी पर्यान्त महत्व का समझती है;

इसलिये, अब, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53), की धारा 26 को उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्तर्गत विधियों का प्रयोग करते हुये तथा हरियाणा सरकार, वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, अधिसूचना संख्या का.आ. 67/के.अ. 53/72/धा. 18/99, दिनांक 24 मार्च, 1999 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, वन्य प्राणी और इसके पर्यावरण के संरक्षण, फेलाव, और विकास के लिये नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्र को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से कलेसर वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भागलूप बनाने के लिये अभ्यारण के रूप में घोषित करते हैं:-

## विवरितियां

जिला	तहसील	गांव या वान	ठारोरां	क्षेत्र	आवास राख्या	छातारा	वन या वान	रीनाये
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	चंडीगढ़	वर्गली	32	222.65	93 94	21, 22 16 गिल, 17 गिल, 18 गिल, 19 गिल, 20 गिल, 21 तो 25	सुराहित	उत्तर: वर्गली छोत
		कम्पाटनेट वं ७						उत्तर-पश्चिमायुक्तित वन कम्पाटनेट वं ६ (पाई) और वर्गली छोत

1 2 3

4 5

6 7

8 9

95	16 निव, 17 निव, 18 निव, 19 निव, 20 निव, 21/1, 21/2, 22 से 25	पूर्व; हिनायल प्रदेश की चीना
96	16 निव, 17 निव, 18 निव, 19 निव, 20 निव, 21 से 25	दोषाण: बगली गांव प्राईवेट थोथ
97	16 निव, 17 निव, 18 निव, 19 निव, 20 निव, 21 से 25	परिचन: बगली खोल 22 से 25
98	25	
106	16 निव, 25 निव	
107	4 निव, 5,6,7 निव, 14 से 16, 17 निव, 19,25	
108	1 से 25	
109	1 से 25	
110	1 से 25	
111	1 से 24	
112	1,2,9,10,11,20	
113	1 से 3,9,10	
114	1 से 10	
115	1 से 15,20	
116	1 से 20	
117	1 से 20	
118	5,6,15/1, 15/2, 16	

प्रगति इंचर,  
आद्यत एवं संघिद, हरियाणा सरकार,  
वन्य प्राणी परिवर्तन विभाग ।